



समझ: रामेय प्रमाणन्त्र धनबाद।

NOTARY
DHANBAD

शपथ पत्र


मैं, पंकज कुमार सिंह, पिता स्व० मिथिला कुमार सिंह, उम्र लगभग 46 वर्ष, धर्म-हिन्दू, पेशा-छवसाय, ग्राम-वीर कुंवर सिंह नगर, सरायदेला, पो० व थाना-सरायदेला, जिला-धनबाद, झारखण्ड राज्यपूर्वक व्यान करता हूँ कि:-

1. यह कि, मैं ग्राम- वीर कुंवर सिंह नगर सरायदेला, पो० व थाना-सरायदेला, जिला-धनबाद का निवासी हूँ।
2. यह कि, मेरे विश्व किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है और न ही किसी अपराधिक मुकदमे में किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हूँ।
3. यह कि, उपरोक्त बाते मेरी जानकारी में सही स्वं सत्य है, गलत पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
4. यह कि, मैं यह शपथ पत्र बिल्डर नवीकरण करवाने हेतु सधूम पदाधिकारी के समर्थ दाखिल करने के लिए बना रहा हूँ।

जो श्री वी.के. साव,
अधिकारी, धनबाद के द्वारा
पहचान किया गया।

सत्यापन
उपरोक्ता लिखित सारी बाते सही स्वं
सत्य है, जिसे आज दिनांक- 5.12.2023
को अपना हूँ बना दिया।

Ramay Kr. Singh
शपथकारा,
Bhanu
अधिकारी। 05/12/23



NOTARY
DHANBAD
Authorised.
U.S 297 (I) (C) of the Cr.P.C. 1973
(Act No. 11 of 1974) & u/s (3) (I)
(Act No. 63 of 1952)



NOTARY
PHANBAD

ग्राम पंचायत

मैं, महेश प्रसाद, पिता श्री नाथ महारो, उमे नम्बर 46 वडा. को-डिल्ड, खें-
खवताप, ग्राम-मंडलपाड़ा तारापटेला, पोल व धाना-तारापटेला, जिला-
झान्दा, भारत के ग्रामपूर्वक व्यान वर्ता हूँ कि:-

No. 45 Dt. 05 DEC 2023

1. यह कि, मैं ग्राम-मंडलपाड़ा तारापटेला, पोल व धाना-तारापटेला,
जिला-झान्दा का निवासी हूँ।

2. यह कि, मेरे घर से भी न्यायालय में किसी प्रकार का
आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है और न ही किसी अदाधिक नुस्खे में
किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हूँ।

3. यह कि, उपरोक्त बातें मेरी जानकारी में तभी सौ तरह है जबकि बारे
जाने पर बानूनी शारणार्ह जी जा जाती है।

4. यह कि, मैं यह ग्राम पंचायत नियोजित वर्ताने के लिए का रहा हूँ।

मेरे श्री महेश प्रसाद,
अधिकारी, झान्दा वर्ता
पहाड़ान किया गया।

नियंत्रण
उपरोक्त लिखित जारी बारे तभी
सर्व तात्पर है, जिसे ग्राम पंचायत-
5/12/2023 को अपना हुआ
दिया।

Mahesh Prasad

प्रमाणित
Phanbad, Jharkhand 05/12/23



प्रमाणित
U.S. 207 (II) (C) of the C.P.C. 1973
(Act No. 11 of 1974) & U.S. (A) (I)
(Act No. 63 of 1962)